फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड-अधिकारी कोटपूतली

बनाम नाहरसिंह वगै० सुरेशचन्द

मुकदमा संख्या/वर्ष 23/2025 प्रा० पत्र 22 R.T. Act /20

क्रं. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष टि०
		483, 484, 485, 486, 493 कुल रकबा 9 बीघा 1.4112 है० वाले मौजा बनवा तहसील मोर वाले को पूतली का के एवं रिकार्ड की पूतली बनाये एवं। तथा यथास्थिति बनाये एवं। बोहति बनवेशन K.C.C लगे। बोहति बनवेशन चालू। नवीन रास्तों एवं रिकार्ड रास्तों के अंकन बाबत लागू नहीं होगा। आ० पत्र दर्ज रजिस्टर नहीं उक्त आशय से नोटिस जारी किये फायदली रिकार्ड 26/5/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली, जिला-कोटपूतली-बहरोड़	
	26-5-25	अभिवक्ता उभय पक्ष उपस्थित। अभिभाषक संघ ने कोर्ट बंद स्थगित रखा है। पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली दिनांक 6/6/25 को पेश हो।	
	6/6/25	अभिवक्ता वादी। प्रार्थी उपस्थित अप्रार्थी सं० 1 लगातार 7 बार राजीनामे तथा मुकदमा जाने पर बराबर अनुपस्थित है	

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली

सुखचन्द बनाम नाहरसिंह

मुकदमा संख्या/वर्ष 23/2025 प्रा0पत्र 212 R.T. Act /20

सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		पर उन्हें किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं करनी है तथा तत्पश्चात अधिवक्ता श्री के द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त होना अपेक्षित है तथा निर्णय के स्तर पर है। इसलिए भूमि की वर्तमान स्थिति बनाये रखना उचित है। अतः इस न्यायालय द्वारा पूर्व जारी अंतरिम आदेश दिनांक 21.4.25 को संशोधन करते हुए जारी आदेश दिनांक तक प्रतिवादी मूल वाद अवधीगण को पाबन्द किया जाता है कि वह विवादित भूमि के संबंध में स्थिति की यथास्थिति बनाये रखें। फलदेय निर्णय शुनाया होकर कार्यालय के बाद है।	

उपखण्ड अधिकारी
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)